



मुंबई पत्तन प्राधिकरण  
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग  
पोर्ट भवन, दूसरा माला  
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,  
मुंबई - 400 001.



General Administration  
Department,  
Port House, 2<sup>nd</sup> floor,  
S.V. Marg, Ballard Estate,  
MUMBAI - 400 001.

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-व.उ. प्र.(क)/1648

10 अप्रैल 2023

भर्ती सूचना

अध्यक्ष

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

**विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा रु. 80000-220000 के वेतनमान में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का पद को भरना-संबंधी.**

-----

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का पद दि. 1.9.2023 से रिक्त होगा. यह पद संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा महा पत्तन प्राधिकरणों से अधिकारियों का समावेश करके भरा जाना है, जिसके लिए आवश्यक पात्रता मानदंड **अनुलग्नक- I** में है.
2. चयन प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होगी, जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग "वेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.
3. **अनुलग्नक- I** के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव के धारक सभी महा पत्तन प्राधिकरणों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **12.4.2023 से 11.5.2023** तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (वेबसाईट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पोर्ट के पास मुं.प. प्रा. को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा.
5. प्रशासनिक पत्तनों को दिनांक **26.5.2023 को या उससे पहले** उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिफाफे में भरकर लिफाफे पर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) के पद के लिए आवेदन" इस प्रकार लिखकर अग्रेषित करने होंगे:

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2017-18 से 2021-22 तक) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- (ii) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" **पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ** प्रस्तुत किया जाए;
- (iii) संबंधित पद एवं वेतनमान के लिए सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपीयाँ तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र और वर्तमान तथा पिछले कार्य का अनुभव प्रमाणित करना आवश्यक है.
- (iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक को इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया गया, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, तथा
- (vi) संबंधित पोर्ट की प्रशासनिक अनापत्ति (**अनुलग्नक II**);
- (vii) निर्धारित प्रपत्र में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए (**अनुलग्नक III**)
- (viii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया हो, तो ऐसे दण्ड की और ले जानेवाली अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजात भी आवेदन के साथ भेजा जाए.

6. पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के मामले में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के परिपत्र सं. ए. 29018/4/2081/ पीई-1 के अनुसार यदि उसका आवेदन पोर्ट द्वारा उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर तक प्राप्त नहीं हुआ तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा. अतः महापत्तनों से अनुरोध है कि वे 26.5.2023 को या उससे पहले संलग्नकों के पूरे सेट के साथ आवेदनों को अग्रेषित करें. **26.5.2023 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.**


7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को सभी संगत कागजातों को एक ही समय में संलग्न करके भेजना होगा. कोई भी आधे-अधूरे/अंश भाग के अग्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा.

8 पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 की पत्र सं.ए-29018/4/2081/पीई-1 के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड के लिए निर्णायक तिथि **1.9.2023** होगी.

9. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में, पोर्ट अधिकारी यदि सेवा चयन समिति द्वारा अपने चयन के बाद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो वह भविष्य में दो वर्षों के लिए सभी महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों के चयन के मामले में रोक के लिए उत्तरदायी होगा.

10. नियत तिथि के पश्चात या अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,



सचिव

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

संलग्न. यथोक्त.

प्रतिलिपि

1) सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन

तथा जलमार्ग मंत्रालय,

नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित

परिपत्र की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ईमेल पता:

[pravin.s@nic.in](mailto:pravin.s@nic.in) and [web-ship@gov.in](mailto:web-ship@gov.in).

पर अग्रेषित की गई है.

(ध्यानाकर्षण: श्री संदीप गुप्ता,  
निदेशक, पीएचआरडी)

2) वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) को जानकारी के लिए प्रेषित

3) संयुक्त निदेशक को वेबसाइट पर डालने के लिए प्रेषित

क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	<b>वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण)</b>	1	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	42 वर्ष	<p><b>अनिवार्य :</b></p> <p>i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पदवी</p> <p>ii) किसी औद्योगिक/ व्यापारिक/सरकारी उपक्रम में कार्मिक प्रबंधन श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंध आदी क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग पद पर 12 वर्ष का अनुभव.</p> <p>iii) मराठी का ज्ञान</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम कल्याण/अथवा संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर पदवी/पदविका अथवा कानूनी पदवी.</p>	<p>क) नहीं</p> <p>ख) हाँ</p> <p>ग) नहीं</p>	लागू नहीं	<p>संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन से अन्यथा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>संयुक्त पध्दतिद्वारा महापत्तन न्यासों में तत्समान पद धारण करनेवाले अधिकारी अथवा उप क.अ. अथवा 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर 3 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी अथवा उसी वेतनमान में 2 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे उप क.अ. अथवा समकक्ष अधिकारी और महा पत्तन न्यासों में 10750-16750 रूपये के वेतनमान में और 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर संयुक्त स्तर से 7 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी विलयन के लिये योग्य होंगे.</p> <p>सरकारी/अर्धसरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में तत्समान पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा उप कल्याण अधिकारी अथवा 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर 3 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी प्रति नियुक्ति के योग्य है.</p> <p>योग्यता द्वारा चयन होने पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेंचमार्क की संपूर्ण ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" होना चाहिए.</p>	

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2017 से 31.3.2022) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

## मुंबई पत्तन प्राधिकरण MUMBAI PORT AUTHORITY

**अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.**

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
10.	धारण किए गए पद (पिछले दस वर्षों के दौरान)	:	

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या है. (* )	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(\* ) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.